

The National Commission for Minorities (Amendment) Bill, 2021 (Amendment of section 2)

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

?कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

माननीय सभापति: आइटम नंबर 122, श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल।

13.20½ hrs